



जैव विविधता और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 6*



प्रस्तावित ईएसएस 6 कसिके के बारे में है?

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 6 (ईएसएस 6) में पर्यावासों के मुख्य पारस्थितिक कार्यों और उनके द्वारा समर्थित जैव विविधता को बनाए रखने के महत्व को मान्यता दी गई है। जैव विविधता अक्सर मनुष्यों द्वारा महत्वपूर्ण मानी गई पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं को रेखांकित करती है और इसलिए, जैव विविधता का पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं के वितरण पर अक्सर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रस्तावित ईएसएस 6 जैव विविधता के संरक्षण और सजीवप्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। यह मानक सुरक्षा नीति विवरण (2009) के तहत जैव विविधता संरक्षण और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आवश्यकताओं पर आधारित है।

* ईएसएस6 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति एशियाई विकास बैंक (adb.org). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy> पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वरकगि पेपर के हिससे के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूरेखा (ईएसएफ) के पूरण पाठ पर एडीबी नदिशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी नदिशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**

ADB



इस मानक के उद्देश्य हैं:

- बदलती जलवायु में जैव विविधता और पारस्थितिकि कार्य और कनेक्टिविटी की रक्षा और संरक्षण करना;
- न्यूनतम शुद्ध हानिरहित और, अधिमानतः, जैव विविधता का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए शमन पदानुक्रम और एहतियाती दृष्टिकोण लागू करना; और
- पारस्थितिकि तंत्र सेवाओं से होने वाले लाभों को कायम रखना और सजीवप्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और उपयोग को बढ़ावा देना।



नए नीतगित प्रावधान और बेहतरअपेक्षाएं क्या हैं?

1



पर्यावास प्रकारों का वर्गीकरण

इस प्रस्तावति मानक में पर्यावास को वर्गीकृत करने के तरीके को अपडेट किया गया है और संभावति प्राथमकता वाली जैव वविधिता सुवधियों की पहचान करने के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारति की गई है जो महत्वपूर्ण पर्यावास की उपस्थिति का निर्धारण करेगी। प्रस्तावति ईएसएस 6 के तहत, पर्यावास को संशोधति या प्राकृतिकि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और मूल्यांकन संभावति प्राथमकता वाली जैव वविधिता सुवधियों की पहचान की जाएगी जो महत्वपूर्ण पर्यावास की उपस्थिति का निर्धारण करेगी।

2



पर्यावासों का संरक्षण

प्रस्तावति मानक में जैव वविधिता के संरक्षण और सजीव प्राकृतिकि संसाधनों के प्रबंधन को मजबूती प्रदान की गई है और जैव वविधिता संबंधी प्रभावों का समाधान करने: संशोधति और प्राकृतिकि पर्यावासों के लिए कोई शुद्ध हानिरहित, प्राथमकता सुवधियों के शुद्ध लाभ के लिए प्राथमकता, और शुद्ध महत्वपूर्ण पर्यावासों के लिए लाभ के लिए अपेक्षाएं स्पष्ट की गई हैं।

3



प्राथमिकि आपूर्तकिर्ता

इस प्रस्तावति मानक में प्राथमिकि आपूर्तकिर्ताओं या उनके द्वारा लगे आपूर्तकिर्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए जोखिमि-आधारति सतत संसाधन खरीद, प्रबंधन और सत्यापन प्रक्रियाओं का परचिय दिया गया है। प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षति है (i) केवल कानूनी और स्थायी मूल की आपूर्ति ही खरीदी जाए; (ii) आपूर्ति के स्रोत की नगिरानी और दस्तावेजीकरण किया जाए, और (iii) जहां संभव हो, प्राकृतिकि संसाधनों की खरीद उन आपूर्तकिर्ताओं तक सीमति है जो यह प्रदर्शति कर सकते हैं कि वे संरक्षति क्षेत्र, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र में प्राकृतिकि पर्यावासों, प्राथमकता जैव वविधिता सुवधियों, महत्वपूर्ण पर्यावासों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहे हैं।

4



नो गो जोन

प्रस्तावित मानक में एलायंस फॉर जीरो एक्सट्रैक्शन (एजेडई)[1] स्थलों, यूनेस्को प्राकृतिक और मशरूति विश्व धरोहर स्थलों और 500 कमी या उससे अधिक लंबाई की “मुक्त बहने वाली” नदियों में एक परियोजना वकिसति करने पर रोक लगाई गई है। यदि परियोजनाएं विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के संरक्षण में योगदान देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं तो अपवाद की अनुमति दी जा सकती है।

5



अंतिम उपाय के रूप में जैव विविधता भरपाई

स्पष्ट करता है कि जैव विविधता ऑफसेट को केवल अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए और सभी व्यवहार्य परियोजना वकिल्पों को पहले से तलाशने की आवश्यकता होगी और परियोजना की ऑफसेटेबलिटी स्थापित करनी होगी।

